GRPI-174/26-8-05-DCGRPI-3,00,000 Forms

II-155
C.J.

ORDER SHEET

THE COURT

आपराधिक प्रकरण कमांक.– ....

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर जि० इंदौर

(विरुद्ध) कालू

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
3/2/20	आरक्षी केन्द्र देपालपुर की ओर से आरक्षक श्री ... (कमांक .... द्वारा अपराध कमांक .... में आरोपी कालू पिता मांगीलाल भोजी 35 नि. बिरगोदा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।	कालू

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190(1)(ख) द.प्र.स. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दाडिक प्रकरणों की पंजी मे विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.स. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एव प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।

आरोपी आज स्वय उपस्थित है।

उसके प्रकट किया है कि वह स्वय अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरूद्ध अपराध में लिया जाकर उसको कारावास के दण्डादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वह स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एव समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व रु. 1400/ अक्षरी रुपये एक हजार चार सौ के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रूपये रु. 1400/- ई पैमेंट 0070346 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी मे अंकित कर समयावधि मे प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

(... भोजी)
जे०एम०एफ०सी० देपालपुर
न्यायिक ...

पुनःश्च

अभियुक्त का न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष मे रिहा किया गया।

जे०एम०एफ०सी० देपालपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

कालू